

Additional Attachment -2.23

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

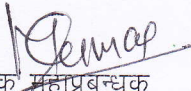
प्रारूप-54

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

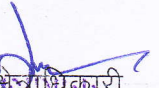
प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह०/
वन विभाग


सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर


मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम


वन क्षेत्राधिकारी
(रामनगर वन प्रभाग, रामनगर)
कोसी वन क्षेत्र
(रामनगर वन प्रभाग, रामनगर)
नैनीताल


उपप्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर


प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर